

क्रम क्र	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>राकेश कुमार, पिता स्व० निरंजन वर्मा, मौजा-कस्तुरीखाप, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-कस्तुरीखाप, थाना नं०-129, खाता संख्या-57, प्लॉट संख्या-313, रकबा-04 डी० भूमि आशिश कुमार वर्मा, पिता रंजीत कुमार वर्मा, निवास स्थान-कानी बाजार, के०बी० रोड, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-299/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-1736/रा० दिनांक-18.05.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 957 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत कुर्वर लुतबरन सिंह वल्द कुर्वर मेदनी सिंह हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 1.85 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 74.5 डी० है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-76/11 पर तिलेश्वर राम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2023-24 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् अवशेष रकबा 66.5 डी० भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4b से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदकों के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3
	<p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोडानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राकेश कुमार, पिता स्व० निरंजन वर्मा, मौजा-कस्तुरीखाप, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोडानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-कस्तुरीखाप, थाना नं०-129, खाता संख्या-57, प्लॉट संख्या-313, रकबा-04 डी० भूमि आशिश कुमार वर्मा, पिता रंजीत कुमार वर्मा, निवास स्थान-कानी बाजार, के०बी० रोड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	<p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>